न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 51/2019

1 सत्यवीर पुत्र चिरंजीलाल।
2 मनफुल पुत्र चिरंजीलाल।
3 रूघवीर पुत्र चिरंजीलाल।
4 बिमला पुत्री चिरंजीलाल।
5 मुन्नी पुत्री चिरंजीलाल।
6 धनकोरी पत्नी चिरंजीलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सागर पुत्र भानाराम।
2 बीरबल पुत्र भानाराम।
3 देवकरण पुत्र भानाराम।
4 रामेश्वरी पुत्री भानाराम।
5 श्रवणी पुत्री भानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 प्रबन्धक झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9 उप पंजियक अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 मदनलाल दत्तक पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कुतुबपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी सागर बनाम बीरबल वगैरह मुकदमा नम्बर 15/2019 दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री नेकीराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज बजाज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 44,49,453,455,465 वाके ग्राम बुडानियां व खसरा नम्बर 80,105,175,209,100,101,297/101 वाके ग्राम कुतुबपुरा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना, अपीलांट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, तनकीयात कायम किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। वर्तमान अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 से 10 है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की जरिये वकील उपस्थिति रही है। दिनांक 27.06.2019 की आदेशिका पर प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के वकील ने हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिये सहमती प्रदान की है। ऐसी स्थिति में सहमती के आधार पर पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। वर्तमान अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 से 10 है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की जरिये वकील उपस्थिति रही है। दिनांक 27.06.2019 की आदेशिका पर प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के वकील ने हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिये सहमती प्रदान की है। ऐसी स्थिति में सहमती के आधार पर पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर